



2026:AHC:178497

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 1567/2026

अमित कुमार गुप्ता

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : ऋषभ कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, पूजा चंद द्विवेदी, सौम्या सिंह

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ कुमार, विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री पूजा चंद द्विवेदी, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आर.के. श्रीवास्तव को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (जिसे इसमें आगे "बी.एन.एस.एस." कहा गया है) की धारा 528 के अंतर्गत आवेदक द्वारा दिनांक 24.08.2025 के आरोप-पत्र, दिनांक 25.08.2025 के समन आदेश तथा आपराधिक वाद संख्या 8613/2025, जो मुकदमा अपराध संख्या 0194/2025, बी.एन.एस. की धारा 109(1), 61(2)(क) के अंतर्गत थाना-कोतवाली, जिला-बलिया से उत्पन्न हुआ है, की संपूर्ण कार्यवाहियों को खारिज करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पक्षकारों के मध्य पूर्व विद्यमान सिविल/संपत्ति विवाद के कारण आवेदक को मिथ्या रूप से फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि घायल ने विवेचना के दौरान अभिलिखित अपने कथन में यह कहा कि वह हमलावरों की पहचान नहीं कर सका तथा उसने केवल विद्यमान सिविल विवाद के कारण आवेदक की संलिप्तता अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के संबंध में एक आशंका व्यक्त की थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचनादाता एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा सारवान् साक्षीगण, अर्थात् लड्डू उर्फ राजा, भरत प्रजापति, बाबूधन तथा डॉ. नूपुर, ने न तो घटनास्थल पर आवेदक को देखा और न ही उसे कोई विशिष्ट भूमिका निर्दिष्ट की।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विवेचना के दौरान गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों, अर्थात् मुकेश कुमार सिंह तथा रोहित वर्मा, ने आवेदक को नहीं फंसाया तथा अभिकथित षड्यंत्र से संबंधित पश्चातवर्ती प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उसकी संलिप्तता प्रकट नहीं होती है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विवेचना अधिकारी द्वारा आवेदक के विरुद्ध जिस एकमात्र सामग्री पर विश्वास किया गया है, वह सह-अभियुक्त व्यक्तियों, विशेष रूप से उसके चचेरे भाई रोहित गुप्ता, के साथ उसकी दूरभाषिक वार्ता है। यह तर्क दिया गया है कि मात्र दूरभाषिक वार्ता आवेदक को अभिकथित अपराध से संबद्ध करने वाला आपत्तिजनक साक्ष्य गठित नहीं कर सकती है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, आवेदक के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष, पारिस्थितिक, सी.सी.टी.वी. या स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है।

5. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पूर्वोक्त परिस्थितियों के होते हुए भी, विवेचना अधिकारी ने आरोप-पत्र प्रस्तुत किया तथा विद्वान मजिस्ट्रेट ने विवेचना के दौरान संग्रहित सामग्री का सम्यक् रूप से अवमूल्यन किए बिना यंत्रवत् संज्ञान लिया तथा आवेदक को समन किया। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आपराधिक कार्यवाहियां विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं तथा लंबित सिविल विवादों में आवेदक पर दबाव डालने हेतु संस्थित की गई हैं।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन का घोर विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को केवल सिविल विवाद से उद्भूत संदेह के आधार पर नहीं फंसाया गया है। विवेचना के दौरान संग्रहित सामग्री आहत अरुण कुमार गुप्ता को समाप्त करने के षड्यंत्र में उसकी संलिप्तता प्रकट करती है। विशेष रूप से सह-अभियुक्त अखिलेश कुमार गुप्ता के कथन पर भरोसा किया गया है, जिसमें आवेदक अमित कुमार गुप्ता को, रोहित गुप्ता, अभिषेक गुप्ता उर्फ सेठू तथा अखिलेश कुमार गुप्ता के साथ, घटना की योजना बनाने तथा गोली चलाने वालों को संलग्न करने हेतु धन की व्यवस्था करने में सम्मिलित व्यक्ति के रूप में विशिष्ट रूप से नामित किया गया है। मुकेश कुमार सिंह तथा रोहित वर्मा के कथन भी यह संकेत करते हैं कि अभिषेक गुप्ता उर्फ सेठू हमले



की योजना बनाने, उसके निष्पादन का समन्वय करने तथा पीड़ित का अवस्थान प्रदान करने में सम्मिलित था।

7. विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विवेचना के दौरान संग्रहित कॉल-डिटेल् रिकॉर्ड अभियोजन के मामले को सारवान् संपुष्टि प्रदान करते हैं। यह इंगित किया गया है कि दिनांक 01.05.2025 से 21.05.2025 तक, आवेदक अमित कुमार गुप्ता की सह-अभियुक्त रोहित गुप्ता के साथ एक मोबाइल नंबर पर 15 कॉल तथा दूसरे मोबाइल नंबर पर 9 कॉल हुई। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, उसी अवधि के दौरान, आवेदक की अभिषेक गुप्ता उर्फ सेठू के साथ 60 कॉल हुई, जो, अभियोजन के अनुसार, अभिकथित षड्यंत्र का समन्वय करने में सम्मिलित था।

8. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि कॉल रिकॉर्ड दिनांक 01.05.2025 से 20.05.2025 तक अभिषेक गुप्ता उर्फ सेठू तथा गोली चलाने वाले रोहित वर्मा उर्फ सरल के मध्य 29 कॉल प्रकट करते हैं, जबकि रोहित गुप्ता की दिनांक 01.05.2025 से 21.05.2025 तक अभिषेक गुप्ता उर्फ सेठू के साथ 65 कॉल हुई। अभिलेख संगत अवधि के दौरान अभिकथित गोली चलाने वालों, मुकेश कुमार सिंह तथा रोहित वर्मा, के मध्य पुनरावृत्त संचार को भी दर्शाता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इन कॉलों की बारंबारता तथा समय, जब सह-अभियुक्तों के कथनों तथा विवेचना के दौरान संग्रहित अन्य सामग्री के साथ विचार में लिया जाता है, आवेदक को अभिकथित षड्यंत्र से संबद्ध करने वाली प्रथम दृष्टया परिस्थितियां गठित करते हैं।

9. विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता अंत में प्रस्तुत करते हैं कि घटनास्थल से आवेदक की अनुपस्थिति उसे कोई सहायता प्रदान नहीं करती है, क्योंकि अभियोजन उसकी भूमिका एक षड्यंत्रकारी के रूप में अभिकथित करता है, न कि उस व्यक्ति के रूप में जिसने वास्तव में गोली चलाई। यह तर्क दिया गया है कि सिविल विवाद का विद्यमान होना स्वयं में आपराधिक अभियोजन को समाप्त नहीं करता है, विशेष रूप से जब विवेचना ने आवेदक को अभिकथित षड्यंत्र से संबद्ध करने वाली अन्य सामग्री संग्रहित की है। सिविल विवाद, कथनों की विश्वसनीयता, दूरभाषिक कॉलों की व्याख्या तथा प्रत्येक अभियुक्त की यथातथ्य भूमिका के संबंध में प्रतिद्वंदी तर्क विचारण के दौरान साक्ष्य के अधिमूल्यन की अपेक्षा करने वाले विषय हैं तथा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कार्यवाहियों में उनका समुचित रूप से निर्णय नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किए गए प्रतिद्वंदी प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

11. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन का मामला केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों तक सीमित नहीं है। विवेचना के दौरान, अभियुक्त व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए गए तथा उनके परस्पर संचार से संबंधित सामग्री संग्रहित की गई। सह-अभियुक्त अखिलेश कुमार गुप्ता का कथन विशिष्ट रूप से आहत अरुण कुमार गुप्ता की मृत्यु कारित करने की अभिकथित योजना में अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ आवेदक की संलिप्तता को निर्दिष्ट करता है। मुकेश कुमार सिंह तथा रोहित वर्मा को अभिवर्णित कथन भी उस अभिकथित रीति को प्रकट करते हैं जिसमें हमले की योजना बनाई गई तथा उसका निष्पादन किया गया।

12. केस डायरी में आगे घटना से तत्काल पूर्ववर्ती अवधि के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों के मध्य पुनरावृत्त दूरभाषिक वार्ता के संबंध में सामग्री अंतर्विष्ट है। विशेष रूप से, संगत अवधि के दौरान आवेदक की अभिषेक गुप्ता उर्फ सेठू के साथ 60 कॉल हुईं, जबकि अभिषेक गुप्ता उर्फ सेठू तथा अभिकथित गोली चलाने वालों के मध्य तथा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के मध्य भी पुनरावृत्त संचार हुआ। इस प्रक्रम पर, उक्त संचार को विलगन में नहीं देखा जा सकता है। उनकी बारंबारता तथा समय, जब विवेचना के दौरान अभिलिखित कथनों के साथ विचार में लिया जाता है, ऐसी परिस्थितियां गठित करते हैं जिन पर विचारण के प्रक्रम पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य प्रस्तुतीकरण यह है कि आहत हमलावरों की पहचान नहीं कर सका, प्रथम सूचनादाता एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा कुछ साक्षियों ने आवेदक को कोई भूमिका निर्दिष्ट नहीं की है। तथापि, आवेदक के विरुद्ध अभियोजन का मामला एक अभिकथित षड्यंत्र पर आधारित है। अतः, घटनास्थल से उसकी अनुपस्थिति स्वयं में निर्णायक रूप से उसकी निर्दोषिता स्थापित नहीं कर सकती है। आवेदक पर षड्यंत्र में सहभागिता का अभिकथन है, न कि उन व्यक्तियों में से एक होने का जिन्होंने वास्तव में आहत पर हमला किया।

14. इस प्रक्रम पर यह भी महत्वपूर्ण है कि अभिकथित गोली चलाने वालों, अर्थात् मुकेश कुमार सिंह तथा रोहित वर्मा, के पास अपराध के किए जाने में आवेदक को मिथ्या रूप से फंसाने का कोई प्रत्यक्ष या विवेच्य उद्देश्य नहीं था। उनके कथन, सह-अभियुक्त अखिलेश कुमार गुप्ता के कथन, कॉल-डिटेल् रिकॉर्ड तथा हमले का समन्वय करने में अभिषेक गुप्ता उर्फ सेठू की अभिकथित भूमिका के साथ पढ़े जाने पर, आरंभ में ही सर्वथा अस्वीकृत नहीं किए जा सकते हैं। क्या ये



कथन अंततः विश्वसनीय हैं तथा उन्हें क्या साक्ष्यिक मूल्य दिया जाना है, यह विचारण न्यायालय के लिए विषय हैं।

15. विवेचना के दौरान संग्रहित सामग्री के संचयी विचार पर, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन द्वारा भरोसा की गई परिस्थितियां पृथक् या असंबद्ध सामग्री के टुकड़े गठित नहीं करती हैं। सह-अभियुक्तों के कथन, घटना की अभिकथित योजना, हमले का समन्वय करने तथा पीड़ित का अवस्थान प्रदान करने में अभिषेक गुप्ता उर्फ सेठू को निर्दिष्ट भूमिका, तथा आवेदक एवं अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को अंतर्ग्रस्त करने वाला पुनरावृत्त दूरभाषिक संचार, विशेष रूप से संगत अवधि के दौरान आवेदक तथा अभिषेक गुप्ता उर्फ सेठू के मध्य 60 कॉल, आवेदक को अभिकथित षड्यंत्र से संबद्ध करने वाली परिस्थितियों की एक प्रथम दृष्टया श्रृंखला गठित करते हैं। इस प्रक्रम पर, परिस्थितियों की श्रृंखला को इतना अपूर्ण या स्वभावतः असंभाव्य नहीं कहा जा सकता है कि वह कार्यवाहियों के अभिखंडन को न्यायोचित ठहराए।

16. क्या उक्त श्रृंखला अंततः आवेदक की दोषिता स्थापित करती है, क्या सह-अभियुक्तों के कथन विश्वासयोग्य हैं, क्या दूरभाषिक कॉल अभिकथित षड्यंत्र से संबद्ध थीं, तथा क्या अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे संपूर्ण श्रृंखला सिद्ध करने में समर्थ है, ये ऐसे विषय हैं जिनका निर्णयन केवल विचारण के दौरान साक्ष्य के अधिमूल्यन पर ही किया जा सकता है। यह न्यायालय, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, साक्ष्य का सूक्ष्म अधिमूल्यन नहीं कर सकता है अथवा एक लघु-विचारण नहीं कर सकता है।

17. यह सुस्थापित है कि अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को यह परीक्षण करना अपेक्षित है कि क्या अभिकथन तथा विवेचना के दौरान संग्रहित सामग्री, अपने प्रत्यक्ष मूल्य पर लिए जाने पर, एक प्रथम दृष्टया मामला प्रकट करते हैं तथा क्या कार्यवाहियों की निरंतरता विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी। न्यायालय को इस प्रक्रम पर साक्ष्य की विश्वसनीयता या ग्राह्यता का अंतिम रूप से निर्णयन करना अपेक्षित नहीं है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्प (1) एससीसी 335 में, उन कोटियों के वादों को दृष्टांतरूप में प्रतिपादित किया है जिनमें आपराधिक कार्यवाहियों के खारिज करने हेतु अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है, जिनमें सम्मिलित हैं वे वाद जहां अभिकथन, अपने प्रत्यक्ष मूल्य पर भी लिए जाने पर, कोई अपराध गठित नहीं करते हैं; जहां निर्विवादित अभिकथन तथा संग्रहित साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने को प्रकट नहीं करते हैं; जहां अभिकथन बेतुके या स्वभावतः असंभाव्य हैं; जहां कार्यवाहियों के लिए कोई विधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्जन है; अथवा जहां कार्यवाहियां प्रत्यक्षतः असद्भावना से ग्रस्त हैं अथवा किसी तिर्यक् उद्देश्य से द्वेषपूर्वक संस्थित की गई हैं।

19. अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग को शासित करने वाले सिद्धांतों को **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1960 एससी 866; बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रि.) 192; जांडु फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सरफुल हक तथा अन्य, 2005 एससीसी (क्रि.) 283; तथा मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2021 एससी 1918** में भी पुनः प्रतिपादित किया है। इन निर्णयों से उद्भूत सुसंगत सिद्धांत यह है कि अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग विरलतापूर्वक तथा सतर्कतापूर्वक किया जाना है तथा, जहां सामग्री साक्ष्य पर निर्णयन की अपेक्षा करने वाला एक प्रथम दृष्टया मामला प्रकट करती है, वहां आपराधिक कार्यवाहियों को सामान्यतः आरंभ में ही समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

20. पूर्वोक्त सिद्धांतों को वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान वाद कार्यवाहियों के खारिज करने हेतु अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग की अपेक्षा करने वाली किसी भी कोटि के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री, विशेष रूप से विवेचना के दौरान अभिलिखित कथन तथा षड्यंत्र में अभिकथित रूप से सम्मिलित आवेदक तथा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के मध्य पुनरावृत्त संचार दर्शाने वाले कॉल-डिटेल रिकॉर्ड, इस प्रक्रम पर सर्वथा अस्वीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

21. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री पर विचार करने पर, यह न्यायालय इस सुविचारित मत का है कि आवेदक की अभिकथित अपराध में संलिप्तता को, कम से कम प्रथम दृष्टया, प्रकट करने हेतु पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। विवेचना के दौरान संग्रहित सामग्री, संचयी रूप से लिए जाने पर, आवेदक को अभिकथित षड्यंत्र से संबद्ध करने वाली एक प्रथम दृष्टया परिस्थितियों की श्रृंखला प्रकट करती है, तथा इसे आपत्तिजनक सामग्री से सर्वथा रहित नहीं माना जा सकता है। आवेदक द्वारा उठाया गया बचाव उसे विचारण के दौरान उपलब्ध हो सकता है, किंतु उसकी निर्दोषिता का निष्कर्ष अभिलिखित करने हेतु इस प्रक्रम पर उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

22. अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि विवेचना के दौरान किए गए अभिकथन तथा संग्रहित सामग्री, अपने प्रत्यक्ष मूल्य पर भी लिए जाने पर, आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करते हैं अथवा अभियोजन इतना बेतुका या स्वभावतः असंभाव्य है कि कार्यवाहियों की निरंतरता विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी।

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां केवल धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन के विचारण तक सीमित हैं तथा इन्हें वाद के गुण-दोष पर मत की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, साक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से तथा विधि के अनुसार विचार करेगा।

24. पूर्वोक्त चर्चा के दृष्टिगत, इस न्यायालय को थाना कोतवाली, जनपद बलिया पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 0194/2025 से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 8613/2025 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 109(1) एवं 61(2)(क) के अधीन आक्षेपित आरोप-पत्र दिनांक 24.08.2025, सम्मन आदेश दिनांक 25.08.2025 अथवा उसकी पारिणामिक कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता है।

25. तदनुसार, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन निरस्त किया जाता है।

24 अगस्त, 2026/पी.के.एस.

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।